



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 1972/ज्येष्ठ 31, 1894

No. 168]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 1972/JYAISTHA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 19th June 1972

G.S.R. 317(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force at once.

2. In rule 10 of the Passports Rules, 1967, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(4) A certificate for travel to Bangladesh shall continue in force up to the 31st day of August, 1972.”.

[No. VI/401/53/71.]

AVTAR SINGH, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1972

सा० का० नि० 317 (ई).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियम, 1967 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम और बनाती है :—

- (1) ये नियम पासपोर्ट (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहलाएंगे।
- (2) ये तत्काल लागू जाएंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1967 के नियम 10 में उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, यथा :—

“(4) बंगलादेश की यात्रा के लिए प्रमाण-पत्र लेने का कायदा 31 अगस्त, 1972 तक पूर्ववत् लागू रहेगा।”

[सं० छह/401/53/71]

भवतार सिंह, सचिव।